

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

गन्ना किसानों के हित में सरकार का सराहनीय फैसला, समिति सदस्यता एवं उपज बढ़ोत्तरी की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक बढ़ायी गयी—गन्ना आयुक्त

गन्ना कृषकों की मांग के दृष्टिगत गन्ना समिति सदस्यता एवं उपज बढ़ोत्तरी हेतु 10 दिन बढ़ायी गयी अंतिम तिथि

पूर्व में गन्ना समिति सदस्यता एवं उपज बढ़ोत्तरी हेतु अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 2026 तक थी निर्धारित

अब 10 अक्टूबर, 2026 तक बनाये गये नये समिति सदस्यों एवं उपज बढ़ोत्तरी के आवेदकों को पेराई—सत्र 2026—27 में क्रमशः गन्ना आपूर्ति व उपज बढ़ोत्तरी की सुविधा होगी अनुमन्य

लखनऊ : 10 अक्टूबर, 2026

प्रदेश की आयुक्त, गन्ना एवं चीनी ने समीक्षा बैठक में अवगत कराया कि हाल में आए प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों एवं किसान जनप्रतिनिधियों की मांग के दृष्टिगत पेराई सत्र 2026—27 के लिये समिति सदस्यता 10 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ा दी गयी है, जो कृषक अभी तक समिति सदस्य नहीं बन पाये हैं, उन्हें वर्तमान पेराई सत्र 2026—27 में गन्ना आपूर्ति का लाभ लेने हेतु 10 दिन का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया है। पूर्व में पेराई सत्र 2026—27 हेतु जारी सट्टा नीति में गन्ना समिति सदस्यता एवं उपज बढ़ोत्तरी हेतु अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 2026 तक ही निर्धारित थी।

गन्ना आयुक्त ने अपील की है कि ऐसे कृषक जिन्होंने पहली बार गन्ने की खेती की है, समिति सदस्य बनकर गन्ना आपूर्ति का लाभ उठाये तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य दर पर गन्ना आपूर्ति कर लाभ प्राप्त करें। गन्ना किसानों के अधिक से अधिक समिति के नये सदस्य बनने से गन्ने की उपलब्धता भी बढ़ेगी।

आयुक्त ने बताया है कि कि जिन किसानों के पास गन्ने की उपज जिले के औसत उपज से अधिक है, वे कृषक उपज बढ़ोत्तरी हेतु अपना आवेदन पत्र 10 अक्टूबर, 2026 तक जमा कर सकेंगे। उन्हीं गन्ना कृषकों को उपज बढ़ोत्तरी की व्यवस्था का लाभ प्रदान किया जायेगा, जिन्होंने उपज बढ़ोत्तरी का आवेदन निर्धारित तिथि तक जमा कर दिया है। गन्ना किसानों की सेवा में समर्पित गन्ना विकास विभाग द्वारा किसानों की समस्याओं के त्वरित एवं 24x7 घण्टे समाधान हेतु मुख्यालय स्तर पर टोल—फ्री किसान काल सेंटर 1800—121—3203 स्थापित है, समस्या होने पर किसान भाई किसी भी समय काल अवश्य करें।

सम्पर्क सूत्र— अमित शुक्ला

राम यतन/04:25 PM

फोन नम्बर Direct : 0522—2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522—2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं0 : 0522—2237230 0522—2239586 ई—मेल : upssoचना@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in